(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1353 एक / 2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–02–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 434 / अपील / 2011–12 .

.....

सत्यनारायण पिता रामचन्द्रदास बैरागी
निवासी मनासा, नीमच
जिला नीमच

..... आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन,
2– डॉ. विजयकुमार उर्फ विजयदेव पिता
मिश्रीलालजी संघई निवासी मनासा नीमच
जिला नीमच

.....अनावेदकगण

.....

श्री आलोक शास्त्री, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप मेहता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–02–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक सत्नारायण पिता रामचंद्रदास बैरागी निवासी मनासा के द्वारा तहसील न्यायालय मनासा के समक्ष दिनांक 27–06–2011 को एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि कस्बा मनासा में उसके पूर्वजों को होल्कर स्टेट द्वारा स्वयं के मालकी एवं आधिपत्य की 150x 150 वर्गफीट भूमि का पट्टा दिया गया था

थी कि मोड़ीलिपी में लिपीबद्ध किया गया था । उक्त भूमि का आधिपत्य होल्कर स्टेट द्वारा वर्ष 1935 में आवेदक के दादाजी स्व0 गोपालदास पिता मथुरादास बैरागी को मौके पर दिया गया । विवादित भूमि पर तत्समय से ही आवेदक के पूर्वजों का आपिधत्य चला आ रहा है । उक्त विवादित भूमि का पुराना सर्वे नं0 586 तथा नया सर्वे नं0 488 है । उक्त पट्‌ट की भूमि का राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम से दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3800/बी–121/2010–11 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया । जिसमें पटवारी एवे राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि को नजूल भूमि होना दर्शाया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार मनासा द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मनासा को भेजा गया । जिस पर अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/बी–121/2011–12 दर्ज कर विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में कराया गया, जिस पर आपत्ति प्राप्त हुई तथा आपत्तिकर्ता की सुनवाई की गई । सुनवाई उपरांत प्रकरण में बहस श्रवण की गई व प्रकरण में दिनांक 06–01–2012 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 06–01–2012 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर जिला नीमच के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा जिस पर प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2011–12 दर्ज कर सुनवाई की गई । सुनवाई के दौरान श्री विजय कुमार संघई द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई की वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । अतः उन्हें भी प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाये, लेकिन उनकी आपत्ति अस्वीकार कर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनकर प्रकरण में दिनांक 11–05–2012 को आदेश पारित किया कि वर्ष 1925–26 के बन्दोबस्त रिकार्ड में पुराना सर्वे नं0 586 उल्लेखित कर राजस्व निरीक्षक ने ग्राम मनासा के सर्वे नं0 488 को जहां शासकीय नजुल बताया है वही आपत्तिकर्ता श्री विजय कुमार पिता मिश्रीलाल संघई द्वारा प्रस्तुत खसरे की छायाप्रतियॉ वर्ष 1970–71 से वर्ष 2011–12 के अनुसार ग्राम मनासा का उक्त सर्वे नं0 488 नजूल होकर उसमें अस्पताल होना दर्शित है । चूँकि आपत्तिकर्ता ने उक्त सर्वे नम्बर 488 को पुराना सर्वे नम्बर 260 उल्लेखित किया था अतः इस भिन्नता के मद्‌देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति खारिज की गई थी । यह सही है कि ग्राम मनासा का वर्तमान सर्वे नम्बर 488 नजूल दर्ज है । साथ ही उपलब्ध अधिकार अभिलेख अनुसार उसमे

इंस्पताल दर्ज है परन्तु प्रकरण की विषयवस्तु होल्कर स्टेट के कथित पट्टे की भूमि को अधिकार अभिलेख मे इन्द्राज करने से हैं जो कि संभव नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया गया । अपर कलेक्टर जिला नीमच के इसी प्रश्नाधीन आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–02–2013 से अपील सारहीन होने से अमान्य की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–02–2013 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि तहसीलदार मनासा के समक्ष दिनांक 27–6–11 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि कस्बा मनासा में पुराना सर्वे नम्बर 586 तथा नया सर्वे नम्बर 488 पर आवेदक के पूर्वजों को होलकर स्टेट द्वारा उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि 150x 150 वर्ग फीट का पटटा दिया गया था जो मोढीलिपि में लिपिबद्ध किया गया था । उक्त भूमि का आधिपत्य आवेदक के दादाजी को वर्ष 1935 में दिया गया था । इस आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदन पत्र पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मनासा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 6–1–12 को आवेदन पत्र निरस्त किया । उक्त आदेश की अपील अपर कलेक्टर जिला नीमच के यहॉ प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दिनांक 11–5–12 को अपील निरस्त की तथा कलेक्टर के आदेश की अपील अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा भी दिनांक 13–2–13 को अपील निरस्त की। लिखित तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई जो निरस्त की गई थी उसके उपरांत भी अनावेदक कमांक 2 का नाम कब्जेदार होने के आधार पर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । आवेदक द्वारा प्रकरण में पटटा प्रस्तुत किया गया तथा पटटे का हिन्दी अनुवाद मोढी लिपि विशेषज्ञ द्वारा किया हुआ भी प्रस्तुत किया जिसको पुराना अभिलेख संचलनालय महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रमाणित भी किया गया था । उक्त पटटे पर किसी भी व्यक्ति अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई आपत्ति अथवा खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था । उसके उपरांत भी दस्तावेज पर विश्वास न करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है । दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण साक्ष्य विधान

की धारा 90 के अनुसार उसके सही होने की उपधारणा की जा सकती है । इस वैधानिक बिन्दु पर कोई विचार न करने में त्रुटि की है । तर्क में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा जो पंचनामा और सीमांकन प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार भूमि को शासन की भूमि बताया है किन्तु यह सीमांकन और पंचनामा किन साक्षियों के समक्ष किया गया है, ऐसा कोई उल्लेख प्रतिवेदन में उल्लेखित नहीं है और न ही उक्त पंचनामा सीमांकन अथवा प्रतिवेदन साक्ष्य में प्रमाणित हुये हैं । वगैर प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । आवेदक द्वारा नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्र के अधिकार अभिलेख वर्ष 1968 से 1996 तक की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें सर्वे कमांक 488 पुराना सर्वे कमांक 586 को नगर पालिका मनासा के स्वामित्व की बताई है । आपत्तिकर्ता अनावेदक कमांक 2 ने प्रकरण में दिनांक 29–11–68 का विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भूमि सर्वे कमांक 260 उल्लेखित है जबकि प्रश्नाधीन भूमि का सर्वे नम्बर 488 तथा पुराना सर्वे नम्बर 586 है । अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में चतुरसीमा और आवेदक द्वारा प्रस्तुत पटटे की चतुरसीमा भी भिन्न है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदक द्वारा जानकारी मॉगने पर कब्जेदार के कॉलम में विजयकुमार का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया है, की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई । इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार नहीं किया है । अनावेदक कमांक 2 का आवेदन पत्र दिनांक 27–9–12 को अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया है । उक्त आदेश को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है उक्त आदेश अंतिम हो चुका है और न ही सिविल न्यायालय में स्वत्व संबंधी कोई वाद प्रस्तुत किया गया इस कार अनावेदक कमांक 2 का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में आवेदक के पूर्वज बतौर भूमिस्वामी संहिता के लागू होने के पूर्व से ही चले आ रहे हैं इस कारण आवेदक का नाम संहिता की धारा 158 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2011 राजस्व निर्णय 186(उच्च न्यायालय), 1997 राजस्व निर्णय 423(उच्च न्यायालय) और 381(उच्च न्यायालय), 2000 राजस्व निर्णय 108, व 2009 राजस्व निर्णय 155 का उल्लेख किया गया है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय को यह निर्देशित करने के आदेश

प्रदान करें कि राजस्व अभिलेखों मे आवेदक का नाम बतौर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया आवेदक को यह निगरानी पेश करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा किन्हीं भी नवीन आधारों पर आवेदक को यह निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है तथा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक ने दाविया भूमि के संबंध में कोई भी दस्तावेज ना तो पेश किये और ना उन्हें प्रमाणित किया तथा यह निगरानी अवधि बाधित है तथा अधीनस्थ तीनों न्यायालयों ने अपने–अपने निर्णय के द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्ण है तो तीनों ही न्यायालयों ने दोनों पक्षों की मौखिक एवं दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार से निर्णय पारित किये हैं तथा उपरोक्तानुसार द्वितीय अपील में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग ने यह निष्कर्ष अंकित किया है कि मानसा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 488 जिसके पूर्व नम्बर 586 है । अनावेदक कमांक 2 के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति है और तीनों न्यायालयों ने आवेदक के आवेदन निरस्त किये हैं । तर्क में यह भी बताया कि उक्त भूमि जो नगरपालिका मनासा ने वरदीचंद को 99 साल की लीज पर दी थी । उक्त भूमि बहुतलाल पटवा के संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यों की भूमि रही है और बहुतलालजी का अपने भाई किशनलाल जी व पुत्र वरदीचन्द एवं श्री लाल के साथ संयुक्त हिन्दु परिवार रहा है और वरदीचन्द की मृत्यु हो जाने के कारण से उक्त नीलामी में खरीद की गई भूमि के श्रीलाल पिता बहुतलाल एवं सूरजमल पिता किशनलाल जी बराबरी के भाग के स्वामी है तथा श्री लाल एवं सूरजमल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29–11–1968 को उक्त भूमि अनावेदक कमांक 2 को विक्रय कर आधिपत्य दे दिया और तब से उक्त भूमि पर अनावेदक कमांक 2 का ही अपने स्वामित्व के स्वत्वों के अंतर्गत आधिपत्य चला आ रहा है और अनावेदक कमांक 2 ने उक्त भूमि पर नगर पालिका मनासा व बाद में नगर पंचायत मनासा से समय समय पर परमीशन लेकर अपने अस्पताल एवं स्वयं तथा पुत्रों के निवास हेतु भवन निर्माण कार्य भी कराया और इस तरह से उक्त भूमि पर वर्ष 1968 से अनावेदक कमांक 2 का लगातार आधिपत्य चला आ रहा है तथा प्रतिवर्ष अनावेदक कमांक 2 ही उक्त भूमि का सम्पत्तिकर जमा कर रहा है । उक्त भूमि सर्वे नम्बर 488 जो खसरे में दर्ज है वही भूमि अनावेदक कमांक 2 ने

बैरदीचन्द के वारिसों से खरीदी है । तर्क में यह भी बताया कि तहसीलदार मनासा ने उक्त भूमि के संबंध में जब यह आदेश दिनांक 20–4–2007 को मौजा पटवारी को आदेश दिया कि उक्त भूमि अनावेदक कमांक 2 के स्वामित्व के अंतर्गत दर्ज की जावे और उक्त प्रकरणमें दिये गये आदेश की पालना पटवारी द्वारा नहीं कराई गई किन्तु उक्त आदेश को आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई व तहसीलदार का आदेश निरस्त भी नहीं किया गया है । तर्क में यह बताया कि मनासा पूर्व में होल्कर स्टेट का गॉव रहा है और तत्कालीन समय में होल्कर राज्य का कानून लागू होता था तथा होल्कर राज्य का नगर पालिका विधान भी था । होल्कर राज्य की समाप्ति पर मध्य भारत लेण्ड रेवेन्यु एण्ड टेंनेंसी एक्ट के प्रावधान लागू हुये व इसके बाद मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधान लागू हुये । जब संहिता के प्रावधान लागू हुये तो जो खुली भूमियॉ मनासा में रही या नजूल या आबादी की रही वे नगर पालिका मनासा में विधिवत् सरकूलर के द्वारा वैष्ठित हो गई । इस संबंध में 1972 जे0एल0जे0 पेज–614 एवं 966 में माननीय उच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उससे भी उक्त स्थिति स्पष्ट है तथा 1988(1) विकलीनोट शार्ट नोट–114 का उल्लेख किया । उपरोक्त परिस्थिति में अनावेदक कमांक 2 उक्त भूमि सर्वे नम्बर 488 का एकमात्र स्वामी व आधिपत्यधारी है और उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध जाकर कोई भी निष्कर्ष अंकित करने के अधिकार नहीं है और वैसे भी आवेदक ने दाविया भूमि के संबंध में एक वाद प्रकरण स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मनासा के न्यायालय में शासन एवं नगर पंचायत मनासा के विरूद्ध पेश किया है किन्तु जानबूझकर आवेदक ने उस प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण अनावेदक कमांक 2 ने पक्षकार बनाने का आवेदन पेश किया जिस पर अभी बहस होना है । दाविया भूमि पर कतई झूठे आधारों पर आवेदक अपने स्वत्व की घोषणा चाह रहा है जिसका निराकरण करने का एकमात्र अधिकार व्यवहार न्यायालय को है इन परिस्थितियों में यह रिवीजन किसी भी दशा में प्रचलन योग्य नहीं है । अंत में अनावेदक कमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया ।

आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक के पूर्वजों को होलकर राज्य द्वारा वर्ष 1935 में दिये पट्टे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करने के लिये आवेदन दिया । प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया कि पूर्व में कभी उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा हो या कभी उसके कब्जे की प्रविष्टि भी रही हो । वर्ष 1935 से वर्ष 2011 तक उसने या उसके पूर्वजों ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने का कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है । इस अवधि में पट्टे के धारकों में विरासत के आधार पर परिवर्तन भी हुये हैं तब भी राजस्व अभिलेखों की सही स्थिति क्यों नहीं ज्ञात की गई, इसका भी कोई समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । इतने वर्षो के बाद शासकीय नजूल भूमि को एक अप्रमाणित पट्टे की छायाप्रति के आधार पर निजी स्वामित्व में दर्ज किये जाने का कोई भी औचित्य नहीं । भू–अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अपने निरन्तर कब्जे को भी आवेदक प्रमाणित नहीं कर पाया है । अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें इस निगरानी में परिवर्तन के कोई पर्याप्त वैधानिक आधार अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

6/ फलतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर